संख्या- 2/285/26-3-2014-3(15)/2007-टी0सी0

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
कृषि/गन्ना विकास/लघु सिंचाई/उद्यान/पशुधन/मत्स्य विकास/कृषि विपणन/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/लोक निर्माण/सिंचाई/ऊर्जा/लघु उद्योग/खादी ग्रामोद्योग/रेशम विकास/पर्यटन/बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/युवा कल्याण/नगर विकास/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन/पिछड़ा वर्ग कल्याण/व्यवसासिक शिक्षा/विकलांग कल्याण/महिला कल्याण/दुग्ध विकास/समग्र ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 03 मार्च, 2014

विषय:- 17 पिछड़ी जातियों(कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडिया, मांझी तथा मछुआ) को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में मात्रात्मक लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य की 17 पिछड़ी जातियों(कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडिया, मांझी तथा मछुआ) को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिस पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

2. उपरोक्त 17 जातियों के पात्र व्यक्तियों के उत्थान हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1533/52-3-2013-सा(30)/13, दिनांक 24 अगस्त, 2013 के तर्ज पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार की निम्नलिखित विभिन्न योजनाओं के नियमों में कोई शिथिलीकरण न करते हुए **7.5 प्रतिशत मात्रात्मक लाभ प्रदान** किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्र0 सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम
1	कृषि	1. आईसोपाम(ISOPOM) योजना।

http://shasnadesh.up.nic.in

		2. प्रमाणित बीजों पर अनुदान। 3. संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देना। 4. संकर बीजों के प्रोत्साहन की योजना। 5. विभिन्न परिसिथतिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण 6. मृदा में सूक्ष्म तत्व को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम का वितरण 7. भूमि सेना योजना 8. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।
2	लघु सिंचाई	नि:शुल्क बोरिंग
3	पशुधन	1. गाय एवं भैंस में कृतिम गर्भाधान एवं पशु प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना।
4	पंचायती राज	1-पंचायत भवन का निर्माण। 2-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि। 3-ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम(सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान)
5	पिछड़ा वर्ग कल्याण	1- बीमारी एवं पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान। 2- व्यावसायिक प्रशिक्षण।
6	व्यवसायिक शिक्षा	1-असेवित विकास खण्डों में आई.टी.आई. का निर्माण/स्थापना। 2-कौशल विकास मिशन।
7	विकलांग कल्याण	1- नेत्रहीन मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को भरण पोषण हेतु अनुदान (विकलांग पेंशन) शारीरिक रूप से अक्षम व्यकितयों के पुर्नवासन हेतु।
8	उधान एवं खाध प्रसंस्करण	1-सूक्ष्म सिंचाई। 2-राष्ट्रीय उधानीकरण मिशन। 3-पान की खेती। 4-ढाबा/फास्ट फूड/रेस्तरां हेतु प्रशिक्षण। 5-राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन योजना। 6-फल पटटी योेजना। 7-हरबल गार्डेन योजना। 8-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम।
9	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार	1-मण्डी शेड में (Agricultural marketing hub) निर्मित दुकानों एवं चबूतरों का आवंटन। 2-मण्डी परिषद के निधि से निर्मित मण्डी एवं उप मणिडयों में सिथत दुकानों एवं चबूतरों की प्रकिया। 3-मण्डी परिषद निधि से संचालित मा0 जनेश्वर मिश्र ग्रामों का चयन। 4-13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत मण्डी शेड (Agricultural marketing hub) का विकास।
10	ग्राम्य विकास	1- अंबेडकर विशेष रोजगार योजना। 2- ग्रामीण पेयजल योजनायें। 3- हैण्डपम्प।

http://shasanadesh.up.nic.in

		4- लोहिया ग्रामीण आवास योजना।
11	ऊर्जा	निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण।
12	लघु उधोग	1- कारीगरों को विपणन हेतु सहायता। 2- कारीगरों के कौशल विकास के लिए डिजाइन वर्कशाप। 3- महिला उधमी प्रोत्साहन योजना।
13	बेसिक शिक्षा	कस्तूरबा गांधी बालिका विधालय योजना छात्राओं का नामांकन।
14	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	1- स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम-कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम-शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम- शहरी महिला स्व सहायता कार्यक्रम(ऋण@अनुदान) शहरी महिला स्व सहायता कार्यक्रम (आवर्ती निधि) शहरी मजदूरी कार्यक्रम। 2- आसरा योजना। 3- रिक्शा योजना। 4- शहरी स्लम में अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बुनियादी सेवायें।
15	दुग्ध विकास	1- कृषकों का प्रशिक्षण 2- दुग्ध संघों/समितियों का सुदृढ़ीकरण पुनर्जीविकरण का विस्तार एवं विस्तार योजना 3- दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु तकनीकी निवेश योजना। 4- सघन मिनी डेरी परियोजना 5- नेशनल मिशन फार प्रोटी सप्लीमेण्ट(NMPS)
16	गन्ना विकास	1- ग्रामीण मार्गों का निर्माण। 2- उन्नत गन्ना बीज का वितरण।
17	मत्स्य विकास	मोबाइल फिश पार्लर।
18	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	1- ए0एन0एम0 सेण्टर। 2- अरबन हेल्थ पोस्ट।
19	लोक निर्माण	1- नाबार्ड योजना के अन्तर्गत अनजुड़ी बसावटों को जोड़ने हेतु मार्गों का नव निर्माण। 2- समग्र ग्राम एवं अन्य ग्रामों की अनजुड़ी बसावटों को जोड़ने हेतु मार्गो का नव निर्माण
20	सिंचाई	डा0 राम मनोहर लोहिया नलकूप योजना।
21	खादी ग्रामोधोग	1- मुख्यमंत्री ग्रामोधोग रोजगार योजना। 2- कौशल सुधार योजना।
22	रेशम विकास	1- जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना। 2- कैटालिटिक विकास योजना।
23	पर्यटन	कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।
24	माध्यमिक शिक्षा	1- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विधालयों का निर्माण। 2- माध्यमिक विधालयों में आइ.सी.टी.(ICT) कार्यक्रम। 3- असेवित न्याय पंचायत में कन्या विधालयों की स्थापना के लिए निजी संस्थाओं को अनुदान। 4- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान(नये विधालयों की स्थापना/

http://shasnadesh.up.nic.in

		उच्चीकरण, माडल स्कूलों की स्थापना/निर्माण कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का निर्माण)
25	उच्च शिक्षा	1- नये उच्च एवं माध्यमिक राजकीय महाविधालयों की स्थापना/निर्माण। 2- वर्तमान राजकीय महाविधालयों का उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण। 3- असेवित क्षेत्रों में निजी महाविधालयों की स्थापना। 4- 36 माडल राजकीय महाविधालयों की स्थापना।
26	युवा कल्याण	पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान के तहत पी0ए0आई0सी0सी0ए0 केन्द्र की स्थापना।
27	नगर विकास	1- शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की योजनायें। 2- यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0(UIDSSMT) योजना 3- नया सवेरा नगर विकास योजना।
28	समाज कल्याण	समाजवादी पेंशन योजना।
29	महिला कल्याण	पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना
30	समग्र ग्राम विकास	डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना

3. कार्यक्रम में उक्त 17 जातियों के लिए किसी भी योजना के मानदण्डों, मानकों अथवा पात्रता शर्तो में किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा उसमें किसी छूट की परिकल्पना नहीं की गयी है। उपरोक्त योजनायें अपने मूलरूप में ही संचालित होती रहेंगी।

4. संबंधित विभाग, जिसमें प्रश्नगत कार्यक्रम/योजना संचालित की जा रही है, वह इस कार्यक्रम/योजना हेतु नोडल विभाग होगा। राज्य स्तर से संबंधित विभाग जनपदवार उपरोक्त 17 जातियों के लिए अपने विभागीय लक्ष्य का 7.5 प्रतिशत मात्राकृत करते हुए तत्काल जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों को संसूचित करेंगे तथा अपने विभाग से संबंधित योजना की नियमित समीक्षा हेतु निर्धारित प्रपत्रों में यथावश्यकता आवश्यक संशोधन करके उस पर जिलों से सूचना प्राप्त कर समीक्षा करेंगे। उक्त 17 जातियों के लिए मात्राकृत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन, क्रियान्वयन एवं मानक अनुसार संतृप्तीकरण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारी प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायी होंगे।

5. उपरोक्त प्रस्तर-2 में वर्णित कार्यक्रमों के लक्ष्यों की पूर्ति का अनुश्रवण जिलाधिकारी के द्वारा अपनी मासिक बैठकों में अनिवार्य रूप से एक अलग एजेण्डा बिन्दु के रूप में किया जायेगा। राज्य स्तर पर संबंधित विभाग इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत नियत लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियों के संबंध में मासिक आधार पर प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा तिमाही आधार पर कार्यान्वयन प्रगति की रिपोर्ट अगली तिमाही के 15वें दिन सचिव, समाज कल्याण विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगें।

6. योजना के क्रियान्वयन में भविष्य में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण, योजना में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता अनुभव होने एवं किसी विभाग की कोई अन्य योजना जो इस योजना की परिधि में आती है, को सम्मिलित करने के लिए निर्णय लेने हेतु मा0 मुख्य

http://shasanadesh.up.nic.in

मंत्री जी अधिकृत होगें। इस निर्णय का क्रियान्वयन सभी सम्बन्धित विभाग उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित योजनाओं पर यथावत लागू करेंगे तथा इसके लिए पुन: मा0 मंत्रि परिषद के समक्ष जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

7. यदि किसी विभाग को किसी योजना में लक्ष्यों के उपर्युक्तानुसार मात्राकरण के सम्बन्ध में कोई कठिनाई होती है, तो वह विभाग प्रमुख सचिव, समाज कल्याण व मुख्य सचिव के माध्यम से इस बारे में मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश प्राप्त कर लेगें।

8. संबंधित विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त मात्राकरण से केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में भारत सरकार से योजनाओं हेतु अनुमन्य धनराशि प्राप्त होने में कठिनाई न हो।

उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

पृ0संख्या- 285(1)/26-3-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
6. समाज कल्याण अनुभाग-2
7. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0राम मोहन राव)
सचिव

http://shasnadesh.up.nic.in